न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/08/2009	16.01.2009	16.08.2019

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट,
2. भीमसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट,
3. कैलाश पुत्र छज्जू जाति जाट, मृतक जर्ये वारिसान
   3/1 मु0 कमला देवी पत्नी स्व0 कैलाश,
   3/2 संजूराम चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश,
   3/3 अनिल चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश,
   3/4 निर्मला चौधरी पुत्री स्व0 कैलाश, जाति जाट निवासियान ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

..................................वादीगण

बनाम

1. अयुब पुत्र हरिसिंह जाति मेव,
2. तैयब पुत्र हरिसिंह जाति मेव,
3. मु0 जुहरी बेवा हुरमत मेव,
4. हाकम खां पुत्र हुरमत मेव,
5. जाकर खां पुत्र हुरमत मेव,
6. आसमोहममद पुत्र हुरमत मेव, निवासियान ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट – वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 375/688 रकबा 16 बिस्वा, 375 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 449 रकबा 15 बिस्वा, 375 /689 जो मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में सहबन से 375/688 गलत दर्ज है रकबा 9 बिस्वा ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जिनके हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 742 रकबा 0.70, 936 रकबा 0.19, 742 /1357 रकबा 0.11 हैक्ट0 कायम किये गये है, जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी के 1/2 भाग का पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के पति/ पिता हुरमत पुत्र चांदमल मेव तथा 1/2 भाग का प्रतिवादी सं0 1, 2 पूर्व खातेदार थे। हुरमत ने अपना 1/2 हिस्सा मोहन पुत्र अर्जुन गुर्जर को विक्रय कर दिया जिस मोहन

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सिंह से विवादित आराजी का 1/2 भाग वादी सं0 1, 2 ने प्रतिफल अदा कर वो कब्जा प्राप्त कर जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया। जिसका इन्तकाल बय सं0 563 दर्ज वो मंजूर कर लिया गया तथा जिस बाबत जमाबन्दी में नोट भी लगा दिया गया जो इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल संलग्न है। विवादित आराजी के शेष 1/2 भाग को प्रतिवादी सं0 1, 2 ने प्रतिफल प्राप्त कर वो कब्जा प्रदत्त कर वादी संख्या 3 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल बय सं0 463 दर्ज वो मंजूर कर लिया गया तथा जिस बाबत भी जमाबन्दी में नोट लगा दिया गया जो इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल भी संलग्न है। उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण विवादित आराजी को विक्रय कर चुके है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी किस्म का नही रहा है ना ही उनका कोई हक हिस्सा रहा है। तथा वादीगण विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर है तथा वक्त खरीद से अपने अपने हिस्से यानि 1/2 भाग पर वादी सं0 1, 2 एवं वादी सं0 3 1/2 भाग पर काबिज रहकर अधिकार पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी इसी कदर वादीगण का मौके पर अपना–अपना कब्जा अपनी–अपनी काश्त है। बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत 2058 में जो मिसल हकीयत जमाबन्दी आदि बनाई है, उसमें हाल खसरा नम्बर 740, 741, 742/1357, 936 में वादी सं0 1, 2 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून, खिलाफ कब्जा–मौका वादी सं0 3 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 742 में वादी सं0 3 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा –मौका वादी सं0 1, 2 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 375/689 के स्थान पर 375/ 688 मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में गलत दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज वादीगण के हकूको के प्रति बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने तथा कलमजन किये जाने योग्य है। विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुदा आराजी है जिसमें से 1/2 भाग वादी सं0 1, 2 का व 1/2 भाग वादी सं0 3 का है तथा इसी कदर मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। ऐसी अवस्था में विवादित आराजी में से 1/2 भाग का वादी सं0 1, 2

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

को 1/2 भाग का वादी सं0 3 को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाना तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज कराया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 742 रकबा 0.70, 936 रकबा 0.19, 742 / 1357 रकबा 0.11 हैक्ट0 वाके ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में से वादी सं0 1, 2 को 1/2 भाग का तथा वादी सं0 3 को 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल/ इन्द्राज कराया जावे एवं हाल खसरा नम्बर 740, 741, 742/1357, 936 के 1/2 भाग में प्रतिवादी सं0 1, 2 का नाम व खसरा नम्बर 742 के 1/2 भाग में प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 का नाम तथा साबिक खसरा नम्बर 375/688 बन्दोबस्त विभाग ने मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी आदि में दर्ज किया है वो वादीगण के हकूकों के प्रति बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन किया जावे तथा खसरा नम्बर साबिक 375/688 के स्थान पर 375/689 दर्ज कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने दावे के समर्थन में वादी कैलाश तथा अन्य गवाह श्रीराम, किशन लाल के बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2062–65 ईएक्स–1, इन्तकाल सं0 563 ईएक्स–2, इन्तकाल सं0 463 ईएक्स–3, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ईएक्स–4, जमाबन्दी सम्वत 2049 ईएक्स–5, जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ईएक्स–6 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादीगण के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने बहस के दौरान दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 375/688 रकबा 16 बिस्वा, 375 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 449 रकबा 15 बिस्वा, 375 /689 जो मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में सहबन से 375/688 गलत दर्ज है रकबा 9 बिस्वा ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में जिनके हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 742 रकबा 0.70, 936 रकबा 0.19, 742

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

/1357 रकबा 0.11 हैक्ट0 कायम किये गये है, जिस विवादित आराजी के 1/2 भाग का पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के पति/ पिता हुरमत पुत्र चांदमल मेव तथा 1/2 भाग का प्रतिवादी सं0 1, 2 पूर्व खातेदार थे। हुरमत ने अपना 1/2 हिस्सा मोहन पुत्र अर्जुन गुर्जर को विक्रय कर दिया जिस मोहन सिंह से विवादित आराजी का 1/2 भाग वादी सं0 1, 2 ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया। जिसका इन्तकाल बय सं0 563 मंजूर कर लिया गया तथा जिसका जमाबन्दी में नोट भी लगा दिया गया जिसकी ताईद में इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत है। विवादित आराजी के शेष 1/2 भाग को प्रतिवादी सं0 1, 2 ने प्रतिफल प्राप्त कर वो कब्जा प्रदत्त कर वादी संख्या 3 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल बय सं0 463 दर्ज वो मंजूर कर लिया गया तथा जिस बाबत भी जमाबन्दी में नोट लगा दिया गया जो इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल भी संलग्न है। उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण विवादित आराजी को विक्रय कर चुके है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी किस्म का नही रहा है ना ही उनका कोई हक हिस्सा रहा है। तथा वादीगण विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर है तथा वक्त खरीद से अपने अपने हिस्से यानि 1/2 भाग पर वादी सं0 1, 2 एवं वादी सं0 3 1/2 भाग पर काबिज रहकर अधिकार पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी इसी कदर वादीगण का मौके पर अपना–अपना कब्जा अपनी–अपनी काश्त है। बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत 2058 में जो मिसल हकीयत जमाबन्दी आदि बनाई है, उसमें हाल खसरा नम्बर 740, 741, 742/1357, 936 में वादी सं0 1, 2 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून, खिलाफ कब्जा–मौका वादी सं0 3 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 742 में वादी सं0 3 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा –मौका वादी सं0 1, 2 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 375/689 के स्थान पर 375/ 688 मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में गलत दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज वादीगण के हकूको के प्रति बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने तथा कलमजन किये जाने योग्य है। विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुदा आराजी है जिसमें से 1/2 भाग

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

वादी सं0 1, 2 का व 1/2 भाग वादी सं0 3 का है तथा इसी कदर मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। ऐसी अवस्था में विवादित आराजी में से 1/2 भाग का वादी सं0 1, 2 को 1/2 भाग का वादी सं0 3 को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाना तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज कराया जाना आवश्यक है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादीगण के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 375/688 रकबा 16 बिस्वा, 375 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 449 रकबा 15 बिस्वा, 375 /689 जो मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में सहबन से 375/688 गलत दर्ज है रकबा 9 बीघा ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में जिनके हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 742 रकबा 0.70, 936 रकबा 0.19, 742 /1357 रकबा 0.11 हैक्ट0 कायम किये गये है, जिस विवादित आराजी के 1/2 भाग का पूर्व खातेदार प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के पति/ पिता हुरमत पुत्र चांदमल मेव तथा 1/2 भाग का प्रतिवादी सं0 1, 2 पूर्व खातेदार थे। हुरमत ने अपना 1/2 हिस्सा मोहन पुत्र अर्जुन गुर्जर को विक्रय कर दिया जिस मोहन सिंह से विवादित आराजी का 1/2 भाग वादी सं0 1, 2 ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर लिया। जिसका इन्तकाल बय सं0 563 मंजूर कर लिया गया तथा जो इन्तकाल व जमाबन्दी से बखूबी साबित है। विवादित आराजी के शेष 1/2 भाग को प्रतिवादी सं0 1, 2 ने प्रतिफल प्राप्त कर वो कब्जा प्रदत्त कर वादी संख्या 3 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल बय सं0 463 दर्ज वो मंजूर कर लिया गया तथा जिस बाबत भी जमाबन्दी में नोट लगा दिया गया जो इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल भी संलग्न है। उपरोक्त प्रकार से प्रतिवादीगण विवादित आराजी को विक्रय कर चुके है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी किस्म का नही रहा है ना ही उनका कोई हक हिस्सा रहा है। तथा वादीगण विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर है तथा वक्त खरीद से अपने अपने हिस्से यानि 1/2 भाग पर वादी सं0 1, 2 एवं

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

वादी सं0 3 1/2 भाग पर काबिज रहकर अधिकार पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी इसी कदर वादीगण का मौके पर अपना–अपना कब्जा अपनी–अपनी काश्त है। बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत 2058 में जो मिसल हकीयत जमाबन्दी आदि बनाई है, उसमें हाल खसरा नम्बर 740, 741, 742/1357, 936 में वादी सं0 1, 2 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून, खिलाफ कब्जा–मौका वादी सं0 3 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1, 2 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 742 में वादी सं0 3 का 1/2 भाग तो सही दर्ज किया है लेकिन शेष 1/2 भाग गलत वो बेजा तौर पर खिलाफ कानून खिलाफ कब्जा –मौका वादी सं0 1, 2 के स्थान पर प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 6 के नाम दर्ज कर दिया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 375/689 के स्थान पर 375/ 688 मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल आदि में गलत दर्ज कर दिया गया है जो इन्द्राज वादीगण के हकूको के प्रति बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने तथा कलमजन किये जाने योग्य है। विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुदा आराजी है जिसमें से 1/2 भाग वादी सं0 1, 2 का व 1/2 भाग वादी सं0 3 का है तथा इसी कदर मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। ऐसी अवस्था में विवादित आराजी में से 1/2 भाग का वादी सं0 1, 2 को तथा 1/2 भाग का वादी सं0 3 को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाना तथा राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 936 रकबा 0.19, हैक्ट0 वाके ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 अयुब पुत्र हरिसिंह, तैयब पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन कर वादी कमला देवी पत्नी कैलाश, संजूराम चौधरी, अनिल चौधरी पुत्रांन कैलाश, निर्मला चौधरी पुत्री कैलाश को 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैंक रहन यथावत उक्त खसरा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

नम्बरों पर रहेगा। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल/ इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। साथ ही हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.70 हैक्ट0 में से आसमोहम्मद पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8, जुहरी पत्नी हुरमत हिस्सा 1/8, जाकर खां पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8, हाकम खां पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8 को कलमजन कर नन्दलाल, भीमसिंह पुत्रांन श्रीराम को 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैंक रहन यथावत रहेगा। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। साबिक खसरा नम्बर 375/688 रकबा 9 बिस्वा बन्दोबस्त विभाग ने मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी आदि में दर्ज किया है उसे कलमजन कर तथा खसरा नम्बर साबिक 375/688 रकबा 9 बिस्वा के स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 375/689 रकबा 9 बिस्वा दर्ज किया जावें। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 में साबिक खसरा नम्बर 375/688 मिन शा0 नं0 360 के स्थान पर खसरा नम्बर 375/688 मिन शा0 नं0 740 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.08.19

(महेश चन्द्र मान)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/08/2009	16.01.2009	16.08.2019

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट,
2. भीमसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट,
3. कैलाश पुत्र छज्जू जाति जाट, मृतक जर्ये वारिसान
   3/1 मु0 कमला देवी पत्नी स्व0 कैलाश,
   3/2 संजूराम चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश,
   3/3 अनिल चौधरी पुत्र स्व0 कैलाश,
   3/4 निर्मला चौधरी पुत्री स्व0 कैलाश, जाति जाट निवासियान ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

..................................वादीगण

बनाम

1. अयुब पुत्र हरिसिंह जाति मेव,
2. तैयब पुत्र हरिसिंह जाति मेव,
3. मु0 जुहरी बेवा हुरमत मेव,
4. हाकम खां पुत्र हुरमत मेव,
5. जाकर खां पुत्र हुरमत मेव,
6. आसमोहममद पुत्र हुरमत मेव, निवासियान ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट – वादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 0.10, 741 रकबा 0.10, 936 रकबा 0.19, हैक्ट0 वाके ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 अयुब पुत्र हरिसिंह, तैयब पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन कर वादी कमला देवी पत्नी कैलाश, संजूराम चौधरी, अनिल चौधरी पुत्रांन कैलाश, निर्मला चौधरी पुत्री कैलाश को 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैंक रहन यथावत उक्त खसरा नम्बरों पर रहेगा। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल/ इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। साथ ही हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.70 हैक्ट0 में से आसमोहम्मद पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8, जुहरी पत्नी

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

हुरमत हिस्सा 1/8, जाकर खां पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8, हाकम खां पुत्र हुरमत हिस्सा 1/8 को कलमजन कर नन्दलाल, भीमसिंह पुत्रांन श्रीराम को 1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा बैंक रहन यथावत रहेगा। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। साबिक खसरा नम्बर 375/688 रकबा 9 बिस्वा बन्दोबस्त विभाग ने मिसल हकीयत मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी आदि में दर्ज किया है उसे कलमजन कर तथा खसरा नम्बर साबिक 375/688 रकबा 9 बिस्वा के स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 375/689 रकबा 9 बिस्वा दर्ज किया जावें। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 में साबिक खसरा नम्बर 375/688 मिन शा0 नं0 360 के स्थान पर खसरा नम्बर 375/688 मिन शा0 नं0 740 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

16.08.19

(महेश चन्द्र मान)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)